इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 नवम्बर 2016—अग्रहायण 7, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. एफ 24-9-2016-एक-10.—सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर 2016 द्वारा पेटलावद, जिला झाबुआ में मोहर्रम के जुलूस को रोके जाने की घटना की जांच हेतु सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया था.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त घटना की जांच हेतु श्री राजकुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. श्री पाण्डेय सम्यक जांच कर अपना प्रतिवेदन तीन माह में राज्य शासन को प्रस्तुत करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.